भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *88

जिसका उत्तर सोमवार, 14 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिए पुनरूद्धार पैकेज

***88. श्री रत्न लाल कटारिया:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) की स्थान-वार कुल कितनी इकाइयां हैं;

(ख) इनमें से कितनी इकाइयों में उत्पादन कार्य चल रहा है और कितनी इकाइयां रुग्ण/बंद हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की पिंजौर सहित अन्य विभिन्न एचएमटी इकाइयों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न एचएमटी इकाइयों की उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

"हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिए पुनरूद्धार पैकेज" के बारे में श्री रत्न लाल कटारिया, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 14.07.2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 88* के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के अधीन छह इकाइयां हैं। ये इकाइयां बेंगलुरू (कर्नाटक), पिंजौर (हरियाणा), कलमासेरी (केरल), हैदराबाद-इकाई-I और इकाई-II (तेलंगाना) और अजमेर (राजस्थान) में स्थित हैं।

(ख): सभी छह इकाइयों में उत्पादन हो रहा है और इनमें से कोई भी रूग्ण/बंद नहीं है।

(ग): जी, हां।

(घ): कार्यशील पूंजी के संकट से उबरने और प्रचालन जारी रखने के लिए, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 28.02.2014 को निम्नलिखित उपायों का अनुमोदन किया:

i. कार्यशील पूंजी के लिए गैर-योजना ऋण के रूप में ₹75 करोड़ की वित्तीय सहायता के तौर पर उपलब्ध कराना।
ii. कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों में एकबारगी छूट देते हुए 1997 में हुए वेतन संशोधन को क्रियान्वित करना।
iii. 1997 में हुए वेतनमान संशोधन के परिणामस्वरूप पड़ने वाले अतिरिक्त प्रभाव से निपटने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु 7% वार्षिक ब्याज दर पर ₹61.04 करोड़ का ऋण।
iv. लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में छूट देते हए किसी भी वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में से 10% कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना।
v. अव्ययित प्रौद्योगिकी निधि का उपयोग करने के लिए समयावधि बढ़ाना।
vi. भारत सरकार के दिनांक 31.03.2014 तक के ऋणों पर ₹38.58 करोड़ की संचित ब्याज राशि को माफ करना।

*****